



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 28, गुरुवार, शाके 1944-अक्टूबर 20, 2022  
Asvina 28, Thursday, Saka 1944- October 20, 2022

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 19, 2022

**संख्या प.2(15)विधि/2/2022.-** राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 अक्टूबर, 2022 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

**राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022**

(2022 का अधिनियम संख्यांक 14)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 अक्टूबर, 2022 को प्राप्त हुई)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 28 का संशोधन.-** राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) की धारा 28 की विद्यमान उप-धारा (7-क) हटायी जायेगी।

प्रवीर भटनागर,  
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, October 19, 2022

**No. F. 2(15)Vidhi/2/2022.-** In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan

Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Sahakari Society (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 (2022 Ka Adhiniyam Sankhyank 14):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2022**  
(Act No. 14 of 2022)

(Received the assent of the Governor on the 18<sup>th</sup> day of October, 2022)

*An*

*Act*

*further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 28, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** The existing sub-section (7-A) of section 28 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002) shall be deleted.

प्रवीर भटनागर,

**Principal Secretary to the Government.**

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।